पीठः- जी.सी. मित्तल और आई.एस. तिवाना, न्यायाधिपतिगण

हुकम सिंह और अन्य,- याचिकाकर्ता

बनाम

डिप्टी कमिश्नर, अंबाला और अन्य,-प्रत्यर्थी

सिविल रिट याचिका संख्या 3368 of 1983

9 अगस्त, 1983

हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971- नियम 30(1) और 34 - ग्राम पंचायत का चुनाव- एक उम्मीदवार की मतदान-पेटी में तेज़ाब डाला गया- तेज़ाब ने मतदान-पेटी को नुकसान नहीं पहुँचाया - उपर्युक्त नियम 30 (1)- क्या मामले की ओर आकर्षित होता है- मतदान जिससे ऐसी पेटी संबंधित है- क्या इसे शून्य घोषित किया जाना है- पेटी में कुछ मतपत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं- निर्वाचन अधिकारी- क्या नियम 34(c) का सहारा ले सकता है- मतपत्रों को नुकसान का प्रभाव- बताया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 के नियम 30 के खंड (1) को पढ़ने से यह पता चलेगा कि ऐसी कई संभावनाएं हैं जिनके होने पर मतदान, जिससे मतदान-पेटी संबंधित है, को उपायुक्त द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। उपर्युक्त नियम को पढ़ने से पता चलता है कि छेड़छाड़ मतदान-पेटी के साथ होनी चाहिए न कि मतपत्रों के साथ और नियम निर्माताओं द्वारा चाही गई छेड़छाड़ का मतदान-पेटी के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। यदि मतदान-पेटी की मुहर हटा दी गई थी और मतपत्रों को पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से हटा दिया गया था, तो यह नियम 30(1) में निहित 'किसी भी तरह से छेड़छाड़' के अर्थ के भीतर मतदान-पेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला है जो कि मतदान को शून्य घोषित करने के बाद पुनर्मतदान के आदेश को उचित ठहराता है। हालांकि, जहाँ मतदान-पेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहाँ मामला नियमों के नियम 30 के दायरे में नहीं आता है।

(जिम्मन 6)

अभिनिर्धारित किया गया कि नियमों के नियम 34(c) के तहत, निर्वाचन अधिकारी के पास विकृत या क्षतिग्रस्त मतपत्रों को अस्वीकार करने की शक्ति है। नियमों के नियम 30 और 34 को तुलनात्मक रूप से पढ़ने पर, एकमात्र उचित व्याख्या यह होगी कि यदि मतदान-पेटी पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से छीन ली जाती है या दुर्घटनावश या संयोग से नष्ट हो जाती है या खो जाती है या किसी भी तरह से इस तरह से छेड़छाड़ की जाती है कि चुनाव को अमान्य ठहराया जा सकता है, तो ही नियम 30 लागू होगा, लेकिन यदि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो नियम 34 लागू होगा। नियम निर्माताओं का इरादा कभी यह नहीं था कि मतदान को हल्के में रद्द घोषित किया जाए। दूसरी ओर, यदि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ होती है तो वह मामले नियम 34 के तहत आएगा और यदि कुछ मतपत्रों को अस्वीकार करने के बावजूद, जिस उम्मीदवार के मतपत्र नष्ट कर दिए गए हैं, उसे अभी भी अधिकतम संख्या में वोट मिले हैं, तो वह कानूनन निर्वाचित घोषित होने का हकदार होगा। किसी मौजूदा मामले में तेज़ाब या उसी तरह की सामग्री डालने के बावजूद भी मतपत्रों को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। किसी अन्य मामले में बहुत कम मतपत्रों को नुकसान हो सकता है, जिससे उनके कोनों को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वे मतदाता की उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के इरादा को दर्शाते हैं। इस तरह के क्षतिग्रस्त मतपत्रों को वैध माना जाएगा और उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा। ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कुछ मतपत्र पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं जैसे की तेज़ाब या उसी तरह की सामग्री के कारण जला दिये जायें। यदि वह उम्मीदवार जिसकी मतदान-पेटी में तेज़ाब या उस तरह की सामग्री डाली गई है, पर फिर भी पाया जाता है कि उसे सबसे अधिक वोट मिले हैं, तो वह निर्वाचित घोषित होने का हकदार है। अभी भी ऐसी सुगमताएँ हो सकती हैं जहाँ बड़ी संख्या में मतपत्र पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। उस स्थिति में, जहां तक पीठासीन/निर्वाचन अधिकारी का संबंध है, वह केवल उन मतों की गणना करेगा जो सहीं हैं और जिन्हें नियम 34 के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि अस्वीकृत या पूरी तरह से जले हुए मतों को अस्वीकार करने के बाद ऐसा उम्मीदवार चुनाव में हार जाता है, तो यह उसके लिए है कि वह निर्वाचन याचिका में मामला उठाए और यह साबित करे कि उसने वास्तव में उस उम्मीदवार की तुलना में अधिक मत प्राप्त किए थे जिसे निर्वाचित घोषित किया गया है और वह उसकी मतदान-पेटी

या पेटियों में तेज़ाब या ऐसी सामग्री डालने से हुई शरारत के कारण हार गया है, जिसके परिणामस्वरूप वह पराजित हो गया है। यदि उस मामले में निर्वाचन याचिकाकर्ता, निर्वाचन याचिका का विचारण करने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह साबित करने में सक्षम है कि यदि पेटी में तेज़ाब या ऐसी सामग्री नहीं डाली गई होती, तो यह पाया गया होता कि उसने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए थे, तब ऐसा प्राधिकारी चुनाव को रद्द करने और ऐसे आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा जो कानून के अनुसार न्यायसंगत और उचित हो। यदि मतपत्र क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी उस तरीके से नियम 34(c) का सहारा ले सकता है जैसा कि ऊपर बताया गया है और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है।

(जिम्मन 7 और 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित अनुतोष दिए जाएंः-

(i) 9 जुलाई, 1983 के आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-2 से संबंधित अभिलेख को प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 से मंगाते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए और उसी के अवलोकन के बाद, 9 जुलाई, 1983 के आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-2 को अपास्त कर दिया जाए;

(ii) ग्राम पंचायत, उगाला के सरपंच के चुनाव के लिए केवल बूथ संख्या 2 के संबंध में कोई नया पुनर्मतदान नहीं करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को निर्देश जारी किया जाए;

(iii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जो कि यह माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाए;

(iv) इस रिट याचिका का निर्णय लंबित रहने तक प्रत्यर्थियों 1 और 2 को केवल बूथ संख्या 2 के संबंध में कोई नया पुनर्मतदान कराने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए;

(v) याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थियों पर प्रस्ताव की पूर्व सूचना देने से छूट दी जाए; और

(vi) याचिका का खर्चा याचिकाकर्ताओं को दिलाया जाए।

उपस्थित:- याचिकाकर्ता की ओर से आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की और से संजीव पब्बी, अधिवक्ता और बी.एस. पंवार, उप-महाधिवक्ता हरियाणा।

प्रत्यर्थी संख्या 3 की और से एम.एस. लिब्रहान, अधिवक्ता।

निर्णय

गोकल चंद मित्तल, न्यायाधिपति

(1) जिला अंबाला की ग्राम पंचायत उगाला के सरपंच के चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों:- हुकुम सिंह, गुरचरण सिंह और नरिंदर कुमार के बीच 27 जून, 1983 को मतदान हुआ था। सरकारी उच्च विद्यालय, उगाला के भवन में दो अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए गए थे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर, प्रत्येक उम्मीदवार की नाम वाले तीन अलग-अलग मतदान-पेटी को रखा गया था। मतदान समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ने वोटों की गिनती की, जो गुरचरण सिंह उम्मीदवार के संबंध में दोनों बूथों में रखी दो मतदान-पेटियों में पाए गए थे। इसके बाद नरिंदर कुमार की मतदान-पेटियों की गिनती की गई। बूथ संख्या 1 से संबंधित उनकी मतदान-पेटी को खोला गया और उसमें निहित मतपत्रों की गिनती की गई। जब उनकी बूथ संख्या 2 में रखी मतदान-पेटी को खोला गया, तो यह पाया गया कि उसमें तेज़ाब डाला गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मतपत्रों के हिस्से नष्ट हो गए थे। निर्वाचन अधिकारी ने उस समय कार्यवाही रोक दी और बूथ संख्या 2 के संबंध में नरिंदर कुमार के पक्ष में मतदान किए गए मतपत्रों की गिनती नहीं की। तीसरे उम्मीदवार हुकुम सिंह से संबंधित मतदान-पेटियों को नहीं खोला गया और उनके पक्ष में डाले गए मतों की गिनती नहीं की गई। उसने उपायुक्त को रिपोर्ट भेजी और उपायुक्त ने उप-मंडल अधिकारी (सिविल) अंबाला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 9 जुलाई, 1983 के आदेश (अनुलग्नक पी-2 की प्रति) के ज़रिए हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम,

1971, जैसे कि आज तक संशोधित किए गए हैं(जिसे इसके बाद 'नियमों' कहा गया है), के नियम 30(1) के तहत बूथ संख्या 2 में हुए मतदान को अवैध घोषित कर दिया और आदेश दिया गया कि बूथ संख्या 2 के संबंध में सभी तीन उम्मीदवारों के मतदान को नए सिरे से किया जाएगा। ऐसा करते समय, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के संबंध में, आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:-

> "उनकी जाँच के अनुसार श्री नरिंदर कुमार के बूथ संख्या 2 की मतदान-पेटियों में तेज़ाब पाया गया था और मतपत्रों के कुछ हिस्से भी जले हुए पाए गए थे।"

उक्त आदेश के विरुद्ध हुकुम सिंह और गुरचरण सिंह ने यह रिट याचिका दायर कर उपायुक्त की कार्रवाई का विरोध किया जिसने केवल बूथ संख्या 2 में पुनर्मतदान का आदेश किया और निम्नलिखित दो प्रार्थनाएँ कीं:

(i) कि दोनों बूथों का नया मतदान होना चाहिए;

(ii) वैकल्पिक में गिनती जारी रखी जानी चाहिए और परिणाम घोषित किया जाना चाहिए।

(2) तीसरे उम्मीदवार नरिंदर कुमार ने भी उस आदेश से व्यथित महसूस कर इस न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 3388/1983 दायर की और उपायुक्त के आदेश को अवैध और बिना अधिकारिता के होने के कारण अपास्त किए जाने और मतों की गिनती जारी रखने और परिणामों को घोषित करने के लिए एक निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया। चूँकि दोनों रिट याचिकाएँ एक ही कार्यवाही से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनका निस्तारण इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

(3) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् हमारा विचार है कि सिविल रिट याचिका संख्या 3368 of 1983 में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई वैकल्पिक प्रार्थना और सिविल रिट याचिका संख्या 3388 of 1983 में तीसरे उम्मीदवार द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य है।

(4) इससे पहले कि हम उस नियम की व्याख्या करने जाएं जिसके तहत शक्ति का प्रयोग किया गया है, मामले के तथ्य बताना आवश्यक हैं। हमने विवादित मतदान-पेटी मँगवाई थी, जिसे सुनवाई के दौरान

हमारे सामने पेश किया गया था। मतदान-पेटी लोहे की चादर से बनी पाई गई थी और काफी मजबूत थी और संभवतः उन पेटियों में से एक थी जिसका उपयोग विधानसभा या संसद की सदस्यता के चुनाव के लिए किया जाता था। वह सही स्थिति में थी और उसके साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। हमारे आदेश पर मुहर को हटाया गया और पेटी को खोला गया। मतदान-पेटी को देखने के बाद हमने पाया कि संभवतः उस छेद से, जिसके माध्यम से मतपत्र डाला जाता है, उसमें थोड़ा तेज़ाब डालने के कारण, बिना मतदान-पेटी को प्रभावित किए, मतपत्र के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया गया था। हमारी उपस्थिति में निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान-पेटी को पुनः सील कर दिया गया और अन्य मतदान-पेटियों के साथ वापस ले जाने का आदेश दिया गया।

(5) अब यह देखना होगा कि क्या नियमों का नियम 30 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होगा। संदर्भ की सुविधा के लिए नियम पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"30. मतदान-पेटियों के नष्ट होने की स्थिति में ताजा मतदान।

(1) यदि किसी चुनाव में किसी मतदान-पेटी या पेटियों को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैध रूप से बाहर ले जाया जाता है या किसी भी तरह से छेड़छाड़ की जाती है या दुर्घटनावश या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है या खो दिया जाता है, तो मतदान, जिससे मतदान-पेटी या पेटियाँ संबंधित हैं, उपायुक्त द्वारा शून्य घोषित करने लायक़ होगा।

(2) जब भी किसी मतदान केन्द्र या केंद्रों पर मतदान उपनियम (1) के अधीन शून्य घोषित किए जाने लायक़ होगा, तो पीठासीन अधिकारी, ऐसी स्थिति का कारण बनने वाले कार्य या घटना को अपने संज्ञान में आने के बाद, जितनी जल्दी संभव हो सके, उपायुक्त को मामले की रिपोर्ट करेगा, जो ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, ऐसे मतदान को शून्य घोषित करेगा और ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रों में नए सिरे से मतदान करने के लिए एक दिन निर्धारित करेगा, और उस समय को निर्धारित करेगा जिसके दौरान मतदान किया

जाएगा, और उक्त चुनाव के दौरान डाले गए मतों की गिनती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा नया मतदान पूरा नहीं हो जाता।

(3) इन नियमों के प्रावधान ऐसे प्रत्येक नए चुनाव पर लागू होंगे जैसा कि वे मूल चुनाव पर लागू होते हैं।

(6) खंड (1) के पठन से पता चलता है कि ऐसी कई संभावनाएं के संबंध में प्रावधान किया गया है जिनके होने पर मतदान, जिससे मतदान-पेटी संबंधित है, को उपायुक्त द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। एकमात्र ऐसा मामला जिसे मामले के तथ्यों के करीब लाया जा सकता है, वह है मतदान-पेटियों के साथ छेड़छाड़, क्योंकि वर्तमान मामला किसी अन्य श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए, इस मामले में हमारे विचार के लिए जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या किसी एक मतदान-पेटी में कुछ तेजाब डालना इस तरह की मतदान-पेटी के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर होगा कि उस बूथ के मतदान को अवैध घोषित कर दिया जाए। इस मामले पर गहराई से विचार करने के बाद हमारा विचार है कि छेड़छाड़ मतपत्रों के साथ नहीं अपितु मतदान-पेटियों के साथ होनी चाहिए। वर्तमान मामले में मतदान-पेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, नियम निर्माताओं द्वारा जो छेड़छाड़ आशयित थी उसका मतदान-पेटी के साथ सीधा संबंध होना चाहिए था। यदि मतदान-पेटी की मुहर हटा दी गई थी और मतपत्रों को पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से हटा दिया गया था, तो यह नियम 30(1) में निहित 'किसी भी तरह से छेड़छाड़' के अर्थ के भीतर मतदान-पेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला है जो कि मतदान को शून्य घोषित करने के बाद पुनर्मतदान के आदेश को उचित ठहराता है।

(7) नरिंदर कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नियमों का नियम 30 लागू नहीं था और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर, नियमों का नियम 34 लागू हो सकता है। सटीक तर्क यह था कि नियमों के नियम 34 (सी) के तहत, निर्वाचन अधिकारी के पास क्षतिग्रस्त या विकृत मतपत्र को अस्वीकार करने की शक्ति है और यह वर्तमान मामले में केवल उस मतदान-पेटी, जिसमें तेज़ाब डाला गया था, के मतपत्रों की गिनती के दौरान देखा जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि यह एक स्वीकृत मामला

है कि ग्राम पंचायत चुनाव नियमों के तहत होने वाले चुनाव, अन्य चुनावों के अन्तर्गत की जाने वाली चुनावी प्रक्रिया से काफी भिन्न है क्योंकि आम तौर पर मतदाताओं को एक मतपत्र प्रदान किया जाता है जिसमें उम्मीदवारों के नाम और प्रतीक होते हैं और मतदाता को उस उम्मीदवार के नाम के सामने चिह्नित करना होता है, जिसके पक्ष में वह वोट देना चाहता था। लेकिन सरपंच के वर्तमान चुनाव में, प्रत्येक मतदाता को एक वोट दिया जाता है और प्रत्येक उम्मीदवार के नाम वाले अलग-अलग बक्से रखे जाते हैं और मतदाता को उस उम्मीदवार के नाम वाले बक्से में वोट डालना होता है, जिसके पक्ष में वह मतदान करना चाहता है। यह तर्क दिया गया कि निर्वाचन अधिकारी को यह पता चल जाएगा कि बूथ संख्या 2 में हुकुम सिंह के डिब्बे में कितने वोट पाए गए और कितने वोट गुरचरण सिंह के डिब्बे में पाए गए।नरिंदर कुमार के पक्ष में डाले गए वोट, जिससे कि विवादित मतदान-पेटी संबंधित है, शेष डाले गए मतों से अधिक नहीं हो सकते। गिनती के पश्चात् ही यह पता चल सकता है कि वास्तव में इतने वोट उनके पक्ष में कैसे पड़े क्योंकि यह बहुत संभव है कि एक मतदाता मतपत्र ले सकता है और बूथ में जाने के बाद किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट ना डाले। इस आधार पर यह तर्क दिया कि नियमों के नियम 30 और 34 को तुलनात्मक रूप से पढ़ने पर, एकमात्र उचित व्याख्या यह होगी कि यदि मतदान-पेटी पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से छीन ली जाती है या दुर्घटनावश या संयोग से नष्ट हो जाती है या खो जाती है या किसी भी तरह से इस तरह से छेड़छाड़ की जाती है कि चुनाव को अमान्य ठहराया जा सकता है, तो ही नियम 30 लागू होगा, लेकिन यदि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो नियम 34 लागू होगा। हम इस तर्क में सार पाते हैं। यदि मतदान-पेटी में थोड़ी सा तेज़ाब या इसी तरह की सामग्री डालने का मतलब यह माना जाता है कि मतदान को अवैध घोषित किया जा सकता है तो इस तरह के कदाचार का अधिक बार पालन किया जाएगा। नियम निर्माताओं का इरादा कभी यह नहीं था कि मतदान को हल्के में रद्द घोषित किया जाए। दूसरी ओर, यदि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ होती है तो वह मामला नियम 34 के तहत आएगा और यदि कुछ मतपत्रों को अस्वीकार करने के बावजूद, जिस उम्मीदवार के मतपत्र नष्ट कर दिए गए हैं, उसे अभी भी अधिकतम संख्या में वोट मिले हैं, तो वह कानूनन निर्वाचित घोषित होने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, यह संभव है कि किसी मामले में पीठासीन अधिकारी

या निर्वाचन अधिकारी, जैसा भी मामला हो, गलत तरीके से आवश्यकता से अधिक मतों को अस्वीकार कर सकता है, या गलत तरीके से उन मतों को स्वीकार कर सकता है, जो अस्वीकार किए जाने के योग्य हो सकते हैं, तो यह चुनाव याचिका में देखे जाने वाला मामला होगा। चुनाव याचिका में एक और बचाव है। चुनाव को किसी भी अवैधता या अनियमितता के कारण आसानी से रद्द नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए, छेड़छाड़ मतदान-पेटी के साथ होनी चाहिए, जो चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। वर्तमान मामला नियमों के नियम 30 (1) के चार घटकों के भीतर नहीं आता है, क्योंकि मतदान-पेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, अपितु मतपत्रों के साथ की गई है। यदि मामला उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत नहीं आता है, तो यह उपायुक्त को नए सिरे से मतदान का आदेश देने के लिए उपनियम (2) के अन्तर्गत शक्तियां नहीं प्रदान करेगा।

(8) नियमों के नियम 30 और 34 की व्याख्या करते समय हमने मामले के व्यावहारिक पहलू को ध्यान में रखा है। यदि मतदान-पेटी में तेज़ाब या इस तरह की सामग्री डालने को, नियमों के नियम 30 (1) को आकर्षित करने वाला माना जाता है, तो उपायुक्त उस बूथ के मतदान को शून्य घोषित करने में सक्षम होंगे, चाहे मतपत्र प्रभावित हों या नहीं। नियम-निर्माताओं का आशय स्पष्ट था और 'किसी भी तरह से छेड़छाड़ किए गए' शब्दों से उनका अर्थ यह था, जैसे कि पीठासीन अधिकारी की हिरासत से एक मतदान-पेटी को गैरकानूनी रूप से बाहर ले जाया जाता है या दुर्घटनावश या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है या खो दिया जाता है। चुनावी प्रक्रिया में न केवल समय लगता है, अपितु यह एक महंगी प्रक्रिया है और इसमें आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और इस पृष्ठभूमि में भी नियमों के नियम 30 की व्याख्या की जानी चाहिए ताकि आशयित परिणाम को बढ़ावा दिया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, नियमों के नियम 34 का प्रावधान किया गया था जो निम्नलिखित प्रकार से हैः –

34. मतपत्र की अस्वीकृति:- मतदान-पेटी में निहित मतपत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि-

(क) उस पर कोई निशान या लेखन है जिसके द्वारा मतदाता की पहचान की जा सकती है;

(ख) उस मामले में, जहां नियम 16 के अधीन निर्देश जारी किया गया है कि मतपत्र पर एक आधिकारिक चिह्न होगा, जिस पर कोई आधिकारिक चिह्न नहीं है;

(ग) पीठासीन या निर्वाचन अधिकारी, यथास्थिति, संतुष्ट है कि मतपत्र नकली है या यह इतना क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया है कि एक वास्तविक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है।

किसी मौजूदा मामले में तेज़ाब या उसी तरह की सामग्री डालने के बावजूद भी मतपत्रों को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। किसी अन्य मामले में बहुत कम मतपत्रों को नुकसान हो सकता है, जिससे उनके कोनों को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वे मतदाता के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के आशय को दर्शाते हैं। इस तरह के क्षतिग्रस्त मतपत्रों को वैध माना जाएगा और उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा। ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कुछ मतपत्र पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं जैसे की तेज़ाब या उसी तरह की सामग्री के कारण जला दिये जायें। यदि वह उम्मीदवार जिसकी मतदान-पेटी में तेज़ाब या उस तरह की सामग्री डाली गई है, फिर भी पाया जाता है कि उसे सबसे अधिक वोट मिले हैं, तो वह निर्वाचित घोषित होने का हकदार है।अभी भी ऐसी सुगमताएँ हो सकती हैं जहाँ बड़ी संख्या में मतपत्र पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। उस स्थिति में, जहां तक पीठासीन/निर्वाचन अधिकारी का संबंध है, वह केवल उन मतों की गणना करेगा जो सहीं हैं और जिन्हें नियम 34 के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि अस्वीकृत या पूरी तरह से जले हुए मतों को अस्वीकार करने के बाद ऐसा उम्मीदवार चुनाव में हार जाता है, तो यह उसके लिए है कि वह निर्वाचन याचिका में मामला उठाए और यह साबित करे कि उसने वास्तव में उस उम्मीदवार की तुलना में अधिक मत प्राप्त किए थे जिसे निर्वाचित घोषित किया गया है और वह उसकी मतदान-पेटी या पेटियों में तेज़ाब या ऐसी सामग्री डालने से हुई शरारत के कारण हार गया है, जिसके परिणामस्वरूप वह पराजित हो गया है। यदि उस मामले में निर्वाचन

याचिकाकर्ता, निर्वाचन याचिका का विचारण करने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह साबित करने में सक्षम है कि यदि पेटी में तेज़ाब या ऐसी सामग्री नहीं डाली गई होती, तो यह पाया गया होता कि उसने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए थे, तब ऐसा प्राधिकारी चुनाव को रद्द करने और ऐसे आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा जो कानून के अनुसार न्यायसंगत और उचित हो। लेकिन मतों की गिनती के आरंभ से ही यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि क्योंकि किसी मतदान-पेटी में कुछ तेज़ाब या इस तरह की सामग्री डाली गई है, इसलिए नियमों के नियम 30 के तहत मतदान को अवैध घोषित किया जा सकता है। तदनुसार, हम पाते हैं कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी-2 पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

(9) यदि हम उपायुक्त के आदेश को बनाए भी रखते, तब भी सिविल रिट याचिका संख्या 3368/1983 में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का यह आग्रह करना सही नहीं था कि दोनों बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया जाना चाहिए क्योंकि नियमों के नियम 30 (1) और (2) को ध्यान में रखते हुए उसी बूथ में मतदान को शून्य घोषित किया जा सकता था, जहाँ पर छेड़छाड़ की गई मतदान-पेटी पाई गई थी और केवल उसी बूथ पर पुनर्मतदान का आदेश दिया जा सकता था।

(10) सिविल रिट याचिका संख्या 3368/1983 में एक और मुद्दा उठाया गया है कि निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता की आपत्ति के बावजूद कि नरिंदर कुमार पंचायत भूमि के अनधिकृत कब्जे में होने के कारण निरर्हित है, उसके नामांकन पत्र को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया। यह तथ्य का विवादित प्रश्न है और इसे रिट कार्यवाही में नहीं उठाया जा सकता। इस मुद्दे को उठाने का उचित तरीका चुनाव याचिका में होगा। तदनुसार, हम इस स्तर पर इस मामले में जाने से इनकार करते हैं।

(11) उपर्युक्त अभिलिखित कारणों अनुसार, दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है और उपायुक्त, के आदेश अनुलग्नक पी-2 को अपास्त किया जाता है। निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किया जाता है कि जिस जगह से उन्होंने मतों की गिनती छोड़ी थी, वहीं से मतों की गिनती के साथ आगे

बढ़ें और प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् कानून के अनुसार परिणाम घोषित करें। पक्षकार अपना खर्चा स्वयं उठाएंगे।

अस्वीकरण :-

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ऋषभ अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा।
UID NO.:- HR0675